श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (ग्वालियर) अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार और गुजरात में चुनाव, जनता के सामाजिक और आर्थिक अधिकार, लोकतंत्रीय अधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, शिक्षा सुधार और राजनीतिक भ्रष्टाचार के उन्मूलन के बारे में श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): The people's demand should be discussed on the floor of the House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: It should be circulated to all the members. Let it be discussed by the House.

MR. SPEAKER: I do not know whether it should be circulated. You are yourself doing this service.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): The hon. member, Shri Indrajit Gupta seems to be of the view that it should be circulated amongst all the members. We heartily support his demand.

MR. SPEAKER: It will go to the Petitions Committee.

12.16 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 10th March, 1975, will consist of:—

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Submission to the vote of the House of Demands for Grants on Account (General) for 1975-76.

(3) Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Trust Laws (Amendment) Ordinance, 1975 and consideration and passing of the Trust Laws (Amendment) Bill, 1975.

I may also inform the House that I had a meeting with the leaders of the opposition in regard to the timely disposal of financial business by the House and they have kindly agreed that with effect from Monday, the 10th March, 1975 till the *passing of the* Finance Bill, 1975 the lunch interval may be dispensed with. I hope the House will agree to this. I am moving a formal motion for the dispensing of the lunch hour. I beg to move:

"That this House resolves that the House do sit during the lunch hour also with effect from Monday, the 10th March, 1975 till the passage of the Finance Bill, 1975."

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Is it only for finishing the financial business or for some other things also which in the opinion of the House are extremely urgent and important?

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: For any business.

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, बांदा जिले के कर्वी सब-डिविजन में पासिन्न इर्शा धाजन के नम से एक काम चल रहा है। वहा पर मध्य प्रदेश के लगभग दस हजार पुरुष और औरतें काम कर रहे हैं। उनमे से अधिकाश हरिजन हैं। वहां जो ठकेदार और इंजीनियर वगैरह सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने साठ-गाठ करके उन औरतो के साथ रेप किया, उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया। वे उन लोगों की कम से कम एक एक, दो दो महीने की दैनिक वेजिज नही दे रहे हैं। मैं मत्री महोदय से निवदन करूंगा कि वह अगले सप्ताह के बिजिनेस में इसका समावेश कर लें, और

[श्री राम रतन शर्मा]

इसके लिए कोई न कोई समय निकालें, ताकि इस सम्बन्ध में यह सदन बहस कर सके।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सिधी जिले में पहले 40 इंच बरसात हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल वहां मुश्किल से 18 इंच हुई और उसके फलस्वरूप वहां की धान की फसल सूख गई। इसके साथ ही जो शीतकालीन वर्षा वहा हुआ करती थी, वह भी बहुत ही कम हुई है। इस कारण वहा पर खाद्यान्नों की जो कमी शुरू से चली आ रही थी, वह इस समय बहुत ही विकटतम हो चली है। प्रदेश सरकार पिछले साल से लगातार कुछ गल्ला उस जिले के लिए दिया करती थी। पिछले अक्तूबर से उसने वह भी करीब-करीब एक तिहाई कर दिया है। ऐसी हालत मे मुझे आशंका है कि वहां पर गरीब वर्ग मे, जिसे गल्ले की कमी बहुत ही महसूस हो रही है, सभवत कुछ मृत्युये हो सकती हैं। अतः मैं आप के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हू कि खाद्य मत्री महोदय कृपा कर के इस सम्बन्ध मे एक बयान दे। और विशेष रूप से मेरा यह आग्रह है कि खाद्य मंत्री सिधी जिले मे खाद्यान्नों की जो अभी पिछले चार महीनों में कमी हुई है उस कमी को पूरा करवा दें। गल्ला तत्काल वहा पहुच जाय। इस के संबंध में उन का एक वक्तव्य अपेक्षित है। आप इस के लिए कृपा करेंगे।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) Mr. Speaker, Sir, you must have read in today's newspapers the most objectionable and mischievous statement issued by the Pakistan President Bhutto which appears under the caption "War, if need be, over Kashmir would be fought" which says:

"Pakistan would consider going to war with India on Kashmir, if efforts for a peaceful settlement fail."

Because the settlement in Kashmir had affected them, that is why they are making statements of this kind. I want the hon. Minister of External Affairs to give a fitting reply to this statement so that Shri Bhutto will realise that this sort of bullying tactics will not work with India.

Then I come to my second point.

MR. SPEAKER: I have clearly stated a number of times that only one point would be allowed. Every time this rule is violated.

SHRI S M BANERJEE: In the time given for one point I will mention two points.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (ग्वालियर) अध्यक्ष महोदय, समद को इस बात की सूचना दी गई है कि अस्पृश्यता के विरोध मे जो कानून है उसे कडा किया जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि राष्ट्रपति भवन के कुछ अधिकारी अस्पृश्यता के विरुद्ध अभी जो कानून बना है उस का खुला उल्लंघन कर हैं। राष्ट्रपति भवन, प्रेसीडेंट्स हाउस-होल्ड मे चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारी भर्ती किए गए थे। वे फर्राश के नाते भर्ती किए गए थे। . . (व्यवधान) . . . स्वीपर नही, स्वीपर मे और फर्राश मे अन्तर है। फर्राश फर्श बिछाने वाले, फर्नीचर की चिन्ता करने वाले, कुर्सियों मेजो को साफ करने वाले, परदे लगाने वाले होते हैं, यह काम उन के जिम्मे होता है। मगर उन से कहा गया कि तुम राष्ट्रपति भवन के बाहर जो सडकें हैं उन को भी साफ करो। उन्होने कहा कि हमें काम करने मे कोई आपत्ति नही है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप राष्ट्रपति भवन मे भी पहुच गए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नही, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति भवन मे कुछ कर्मचारी काम करते हैं। बाद में क्या हुआ आप को सुन कर ताज्जुब होगा। जब उन्होंने

कहा कि हम फराश के नाते भर्ती किए गए हैं और सडक पर झाड़ लगाना सी पी डब्लू डी के सफाई कर्मचारियों का काम है, आप सी पी डब्लू डी के लोगो को बुलाइए तो राष्ट्रपति भवन के दो अफसरों ने उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो को बुला कर गालिया दी। उन से कहा कि कमीनो, नीचो, तुम हरिजन हो और सिर पर चढ रहे हो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। बाद मे 16 फराश नौकरी से निकाल दिए गए। सारी दिल्ली में पोस्टर लगे हुए है। वे कर्मचारी मेरे घर पर रोज आ रहे हैं। मैं जानता हू कि राष्ट्रपति महोदय को शायद इस के बारे मे पता भी नहीं होगा। लेकिन आप गृह मत्री महोदय से कहिए कि इस बारे में तथ्यो का पता लगा कर सदन को जानकारी दें। (व्यवधान) यह बडा गभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मामला गभीर है तभी तो आप को टाइम दे दिया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे कर्मचारी भूख हडताल शुरू कर देंगे तो स्थिति और बिगड़ेगी। मैन अभी उन को रोक कर रखा है। लेकिन इस सदन मे उन की सुनवाई नही होगी तो उन के धैर्य का बाध टूट जायगा।

MR. SPEAKER. The rule is that a member will not take more than two minutes and only one point would be mentioned I have to ensure that because the number of members making such statements is increasing every time.

SHRI S. M. BANERJEE: I am happy that the Minister of Revenue and Expenditure is present here. A solemn promise was made by Shri Jagjivan Ram on the 18th of January 1975 to the leaders of the Central Government employees that negotiations on revision of wages will start in the month of March. Today is the 7th of March 1975. The promise was that negotiations will start because the cost of living index has reached 272. Now four instalments of dearness allowance have already become due to the Central Government employees from 1st November 1974. So, negotiations for wage revision should start. I would request you, Sir, and through you the Minister of Revenue and Expenditure to convey our feelings to the Minister of Finance and request him to make a statement next week, telling us that negotiation will start with the Central Government employees for wage revision.

PROF MADHU DANDAVATE (Rajapur) Shri Mohan Dharia has already made a statement in this House and a number of issues which he has raised indicate certain lacunae in the functioning of the Government. Also, from the communication that has been sent by the Prime Minister, it is very clear that even the normal norms of democracy have been completely violated We would require a full-fledged discussion on Shri Dharia's statement Therefore, we demand that under Rule 193, a discussion on this subject should be held so that all the aspects of Shri Dharia's statement can be considered by the House

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: One wonders whether Mr. Dharia should have gone or the Prime Minister should have gone. There is a total failure of the Government.

अध्यक्ष महोदय : आप इतना डिसफुल थिंकिंग करते हैं कभी कभी।

श्री श्याम नंदन मिश्र : वह तो बिल्कुल फेल्योर बता दिया उन्होंने। एक भी मामले मे धारिया साहब ने उन को सेटिफिकेट नहीं दिया बल्कि बताया कि आप को हर एक क्षेत्र मे नाकामयाबी हुई। .... (व्यवधान) .. जनता जो कह रही है वही वह भी कह रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है क्या उसे इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए ?

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, I want to draw your attention that this Government which swears by the people, for the people's benefit, which also pledges itself for revolutionary change, socialism, in the country and which talks of so many things is so terribly afraid of people that when the people were coming here to place the charter of people's demands, they were not allowed to come to Delhi....

MR. SPEAKER: How is it relevant here? This is about the business of the House for the next week.

SHRI SAMAR GUHA: I want to know whether that Chapter of the Constitution called Fundamental Rights was kept in hybernation on the 6th March, the historic day, when in all the border areas, the buses and trucks were stopped and long-distance tarins that were to reach Delhi in the morning reached at 4 or 5 or 6 P.M. in the evening.

I want to know from the Government whether the people have not got the right to place the charter of people's demand at the highest forum of the will of the people. Why were the buses, and trucks stopped? Why were the trains delayed? The Government violated the basic principles enshrined in the Constitution. I charge them that they stopped buses and trucks all over the border areas and all long-distance trains that were to reach Delhi in the morning were delayed and they reached only in the evening.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, संसद कार्य मंत्री ने हम लोगों का लंच आवर छीन लिया है । लेकिन अगर विरोध पक्ष के कुछ मामलों को और कुछ प्रस्तावों को वह चर्चा के लिए ले लेते तो लंच आवर को छीनने का कोई औचित्य था । कई प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय दिये गये हैं—जैसे (1) एमर्जेन्सी के बारे में, (2) मारुति के बारे में, (3) चन्द्रजीत यादव के बारे में—अभी तक उसकी सफाई का बयान नहीं आया है, यह बहुत आपत्तिजनक बात है—और (4) तुल मोहन राम पर आप की रूलिंग के अनुसार यह पर बहस होनी चाहिये—मैं रघुरमैया साहब को वीटो का अधिकार देने को तैयार नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरी यह राय है कि इन चार प्रस्तावों में से कम से कम दो तो तत्काल ले लेने चाहिये । मारुति लि० के बारे में मैं केवल इतना ही अब कहना चाहता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक ने 75 लाख रु० का लोन मारुति को दिया, 25 लाख का लोन सैन्ट्रल बैंक ने दिया—तीन महीने के लिये और अब बार बार उसको एक्सटेण्ड किया जा रहा है । इतना ही नहीं, बीच में मारुति लि० के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है और दबाव डाला गया है कि उसको सैन्ट्रल बैंक से एक करोड़ रुपये का लोन मिले । तो मैं चाहता हूं कि मारुति लि० पर मेरा जो जांच वाला प्रस्ताव है उस को ले लिया जाय, क्योंकि जबतक यह मारुति वाला सिलसिला खत्म नहीं होता है, साधारण नौजवानों को एम्पलायमेन्ट की कोई आशा नहीं है—ऐसा मुझे लगता है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हुकम चन्द कछवाय । कछवाय जी, न आपने कोई मोशन दिया है और न कोई प्रस्ताव दिया है, बस ऐसे ही नाम भेज दिया है । मैंने आप का नाम ले लिया, हैं, अब आप बैठ जाइये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) मुझे थोड़ा सा सुन लीजिये । माननीय संसद कार्य मंत्री जी ने आने वाले सप्ताह के कार्यक्रमों की जो सूचना दी है, मुझे उसके सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार सरकार की ओर से घोषणायें होती आई हैं कि दल-बदल कानून का जो विधेयक है, उसे वे संसद के विचार के लिये लाने वाले हैं । इसका दुरुपयोग सारे देश के अन्दर सत्ता पार्टी सदस्यों को खरीदने के लिये करती आ रही है । मेरा निवेदन है कि चाहे नगर पालिका हो, विधान सभा हो या लोक सभा

हो, सब जगह पैसे से सदस्यों को खरीदने का प्रयास चल रहा है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि संसद कार्य मंत्री उस बिल को इस सेशन में कब तक लाने वाले हैं, सरकार यहां पर घोषणा करे कि वह कब तक उस बिल को यहां लाना चाहती है, ताकि उस पर चर्चा हो सके। शहरी सम्पत्ति सीमा विधेयक की बात भी सरकार द्वारा कही गई है, वह बिल भी विचाराधीन है, मैं चाहता हूं कि उस पर भी इसी सेशन मे चर्चा करवायें।

अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं इस वक्त जरूर कहूंगा—उन्होंने इस वक्त जो बात कही है—इस बिजनेस में जो बिलकुल सही फिट आनी चाहिये, वही बात कही है।

SHRI NURUL HUDA (Cachar): I had raised the problem of the linguistic minorities in my home State of Assam on the floor of this House earlier. In spite of strong objections, the State Government has imposed the majority language as a compulsory third language on all linguistic minority students studying in the secondary schools, thus debarring them from taking up and learning the Hindi language. During the last one year, I had the honour of meeting the Prime Minister and the Home Minister on several occasions, and I have urged on them to intervene and pursuade the State Government to refrain from imposing the majority language on the linguistic minorities This policy of the State Government of Assam has aroused bitterness and resentment among all linguistic minorities in Assam, such as bodos, the Bengalis, the Hindi-speaking people and others. I would request the Prime Minister and the Home Minister to make a statement on this problem next week and remove the fears and apprehensions of the linguistic minority communities in my home State of Assam.

Secondly, Sir, it was kind of you to have directed the Home Minister to make a statement on the arrest

MR. SPEAKER: That is over now.

SHRI NURUL HUDA: ... and illegal detention of Shri Biswa Goswami, the State Socialist Party leader of Assam, who was thus prevented from coming to Delhi on 5th March, 1975.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि चौथी लोक सभा के दरमिया लैंड एक्वीजीशन एक्ट, भूमि अर्जन कानून मे सशोधन करने के लिये उस समय के लोक सभा के सदस्य प० आनन्द नारायण मुल्ला की अध्यक्षता मे एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा करने के बाद अपने सुझाव सरकार को दिये। लेकिन, अध्यक्ष जी यह बड़े दु ख की बात है कि अभी तक भूमि अर्जन कानून में सशोधन करने के सम्बन्ध मे कोई विधेयक इस सदन मे पेश नही किया गया और इस बीच जगह जगह पर देश के विभिन्न राज्यों में जबरदस्ती किसानों की जमीनों,गरीबों के मकानात को लिया जा रहा है। पटना नगर मे हजारो गरीबो, जो पिछडी जातियों के है, हरिजन हैं, गावो के लोग हैं, उन की जमीनों को इस लिये लिय जा रहा है कि उनमे धनी लोगों को बसाया जायेगा और उनके लिये क्वार्टर्ज बनाये जायेंगे। सस्ते दामों पर लेकर ज्यादा कीमतें पर वे मकान लोगों को दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हू कि सरकार ने उस सशोधन विधेयक को यहां पर पेश करने के लिये क्या निर्णय किया है, कम से कम इस सत्र मे तो उसे अवश्य पास किया जाना चाहिये, ताकि जिन लोगो को गलत तरीके से सताया जा रहा है उनको बचाया जा सके। मैं स्वय पटना घूम कर आ रहा हू, दर्जनों ऐसे गाव हैं जैसे चौठाड, बिग्रहपुर, शेखपुरा आदि जिन मे हजारों लोग रह रहे हैं, उनकी जमीनों को लिया जा रहा है, उन के मकानों को लिया जा रहा है .....

श्री जगन्नाथ राव जोशी (राजापुर) ये चार दिन से तो यही मेरे पास बैठे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : दूसरी बात—दिल्ली के माध्यमिक शिक्षक आन्दोलन कर रहे हैं । आप यह भी जानते है कि उन लोगों ने प्रतिक्रियावादी लोगों के चंगुल मे जाने से इन्कार कर दिया है । यह बड़े शर्म की बात है कि सरकार उन के साथ समझौता वार्ता नही चला रही है । बिहार के माध्यमिक शिक्षक धरना दे रहे हैं—विधान सभा के सामने । 500 शिक्षक गिरफ्तार भी किये जा चुके है । इस लिये मैं चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षको का सवाल—चाहे दिल्ली का हो या बिहार का हो या किसी और राज्य का हो, उस के सम्बन्ध मे शिक्षा मंत्री जी बतलायें कि वे कौन सी कार्यवाही करना चाहते है ताकि उन के अन्दर व्याप्त असंतोष दूर हो सके । बिहार के शिक्षक यह माग भी कर रहे है कि गैर-सरकारी स्कूलों को सरकार अपने कब्जे मे लेकर चलाये, ताकि उन स्कूलो की प्रबंध समितियों की धांधली रुक सके ।

श्री आर० बी० बड़े (खरगोन) : अध्यक्ष महोदय, मै केवल इतना ही कहना चाहता हू कि रिजर्व बैंक की तरफ से प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक्स के लिये ता० 31 जनवरी, 1975 को जो आदेश जारी किये गये हैं, उन से तमाम कोआपरेटिव बैंको का काम ठप्प हो गया है । उन से कहा गया है कि वे अपने सदस्यों को 5 हजार रुपये से अधिक कर्जा नही दे सकते हैं—इस से बहुत ज्यादा कठिनाइयां पैदा हो गई हैं—मैं चाहता हूं कि सरकार इस के बारे मे शीघ्र यहां पर बयान दे ।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के मंदसौर-रतलाम जिले के चीनी व्यापारियों की ओर दिलाया था, जिन्होंने लैवी की चीनी को चोरी-छिपे देश से बाहर भेजा था, यहां तक कि चीन को भी भेजा था । हजारों बोरियों का गोलमाल कर के लाखों रुपया उन्होंने कमाया । इसी संसद में मैंने दो बार इस प्रश्न को उठाया—पहली बार तो मेरे प्रश्न सं० 3977 दिनांक 10-12-73 के उत्तर मे माननीय मंत्री जी ने बताया कि जांच जारी है, राज्य सरकार को आदेश दिये है कि वे शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें । उस के बाद 31-12-74 को मेरे दूसरे प्रश्न के उत्तर मे बताया गया कि इस की जांच जारी है । यह मामला 1971 से चल रहा है, लेकिन आज तक ऐसे अपराधियो के खिलाफ़ जिन्होंने देश के बाहर चीनी भेजी, राष्ट्रद्रोही काम करने मे जिन को तनिक भी हिचकिचाहट नही हुई, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही करने मे सरकार अभी तक असमर्थ रही है । मैं चाहता हू कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ डी०आई० आर० के अन्तर्गत कार्यवाही हो और खाद्य मंत्री इस के सम्बन्ध मे यहा पर वक्तव्य दें ।

दूसरा मामला यह है कि माननीय परिवहन मत्री जी ने आश्वासन दिया था कि धौलपुर के पास चम्बल नदी पर एक वर्ष के अन्दर पुल बन कर तैयार हो जायगा । अब कहा गया है कि 1978 मे जा कर तैयार होगा । यातायात की दृष्टि से यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिये उस को जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिये । परिवहन मत्री अपने आश्वासन की पूर्ति करने में असफल रहे हैं । मैं चाहता हू कि मंत्री जी अपने आश्वासन की पूर्ति करें ।

Shrimati Roza Deshpande—*rose*

MR. SPEAKER: Shrimati Roza Deshpande, you did not give any notice but in view of the International Women's year I am giving you permission.

SHRIMATI ROZA DESHPANDE (Bombay Central): We are celebrating this year as International Women's year. I think that there are certain problems about the working women

in this country, about the employment of women in the working force of this country, who are engaged in the development of the country, and these problems should be taken into consideration and suitable legislation to compel the management to employ women in traditional sectors like textiles, jute, chemicals, pharmaceuticals and other industries should be taken into account. Some legislation should be passed that certain percentage of women must be employed in the labour force of this country. I request that the Minister of Parliamentary Affairs and Labour Minister should take note of this point and that a discussion on this should be arranged to be held next week.

MR. SPEAKER: I am really surprised; what was in my mind, you have conveyed it!

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: Shri Madhu Limaya suggested certain matters for discussion. Government's views on them are already known to the House and I have already indicated them to the House. Regarding other matters I shall communicate them to the Minister's concerned

MR. SPEAKER: I will now put motion; this is about the Business of the House. The question is:

"That this House resolves that the House do sit during the lunch hour also with effect from Monday, the 10th March, 1975 till the passage of the Finance Bill, 1975."

The motion was adopted.

12.43 hrs.

RE. PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

MR. SPEAKER: Shri Syed Ahmed Aga.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): अध्यक्ष जी मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप श्री आगा साहब को पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने के लिये बुला रहे हैं। यह नियम 357 के अन्तर्गत किया जा रहा है। नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि इस में कोई ऐसी बात नहीं लायी जायेगी जो विवादास्पद हो और जिस से कोई नई बहस खडी हो।

अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि उस दिन जब श्री आगा साहब कश्मीर की स्थिति के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने बिना जरूरत 6 मार्च के राष्ट्रीय जन प्रदर्शन का उल्लेख किया। इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि 6 मार्च का प्रदर्शन संगठित करने के लिये अमरीका से पैसा आ रहा है। मैं उन के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं :

On the 6th March there is going to be march on Parliament is it not a matter for concern? Shyam babu was saying that half a million would march. How much money does it need? Where does that money come from?

और फिर आगे उन्होंने कहा

"Who is going to pay for half a million people to come and stay in Delhi and march on Parliament? The money is coming from the United States the proof of which is that only a few days ago, a cheque was received."

फिर मैं ने उन को इंटरप्ट किया

"His own party had been organising a rally in Delhi. Does he mean to say that the money came from the Soviet Union?

फिर श्री आगा ने कहा

"Shri S. A. Aga: What about the cheque that came for Mr. J. P.? It was a foreign cheque. Where has it come from?"

अब इस के बाद आप कार्यवाही देखें तो टोका टाकी शुरू हो गई, गरमी पैदा हुई। फिर इधर से भी आरोप लगाया गया। हमारे मित्र कछवाय जी ने भी एक आरोप लगा दिया। वह आरोप लगाया नहीं जाना चाहिये था।